



RIMS/Admn/DC/ No..... /date.....

कार्यालय आदेश

आज दिनांक 06.04.2021 को क्लिनिकल विभागाध्यक्षों एवं कोविड टास्क फोर्स के सदस्यों के साथ आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में पत्र निर्गत की तिथि से राज्य में कोविड-19 के संक्रमण के बढ़ते हुए प्रादुर्भाव, प्रसार के आलोक सामान्य भर्ती एवं सामान्य सर्जरी को अगले आदेश तक के लिए रोक लगाई जाती है।

ह0 / -

निदेशक,

राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची।

ज्ञापांक222...../रिम्स, राँची दिनांक.....6.4.2021.....

प्रतिलिपि- सूचनापट्ट/वेबसाइट रिम्स, राँची पर आमजनों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- अपर निदेशक (प्रशासन)/ चिकित्सा अधीक्षक/सभी विभागाध्यक्ष, क्लिनिकल विभाग/ इकाई प्रभारी/प्रभारी अकास्मिकी/प्रभारी, ट्रॉमा सेंटर/ कोविड टास्क फोर्स, रिम्स, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसे माननीय मंत्री के संज्ञान में लाने की कृपा की जाय।

निदेशक,

राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची।